



(71)

प्रकरण क्रमांक : /निगरानी/2018

प्रस्तुति दिनांक : 5.6.18

## माननीय राजस्व मण्डल गवालियर (म.प्र.) के समक्ष

निगरानी-3487/2018/इंदौर/श्र. २५

- 1) विक्रमसिंह पिता स्व. हरिसिंह
- 2) चरणसिंह पिता स्व. हरिसिंह
- 3) विरेन्द्रसिंह पिता स्व. हरिसिंह

सभी निवासी - ग्राम अम्बालिया

तहसील देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

... प्रार्थीगण

- 1) अयोध्याबाई विधवा रामसिंह
- 2) विरेन्द्र पिता स्व. बनेसिंह

सभी निवासी - ग्राम अम्बालिया तहसील

देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

... प्रतिप्रार्थीगण

## प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

प्रार्थीगण, श्रीमान नायब तहसीलदार, गौतमपुरा जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ-13/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 09/05/2018 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर सदर निगरानी प्रस्तुत करते हैं:-

### प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :-

यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रतिप्रार्थी द्वारा धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत एक आवेदनपत्र इस आशय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-भवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3487/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-11-2018	<p>आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित होने हेतु उभय पक्ष को सूचना दिया जाये।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p> <p></p>	